


04 FEB 2019



04 FEB 2019 No. 02

झारखण्ड JHARKHAND

NOTARY DHANBAD

B 697638

विकास एकरारनामा

यह विकास एकरारनामा दिनांक 4/2/19 को बना और सम्पादन के बीच (1) श्री टेकलाल महतो, (2). श्री अर्जून महतो, (3). श्री नकुल महतो, (4). श्री देबू महतो, सभी का पिता स्व० रघुनाथ महतो, (5). श्रीमति बुगली देवी, पति स्व० निरंजन महतो, (6). श्रीमति शान्ति देवी पति स्व० संतोष महतो, सभी का जाति तेली, पेशा व्यवसाय आदी, साकिम तेलीपाड़ा, हिरापुर, धनबाद, डाकघर धनबाद, थाना एवं जिला:- धनबाद, राज्य : झारखण्ड। यहाँ सम्मिलित मालिक कहा गया हूँ, जिस पद के अन्तर्गत उसके उत्तराधिकारी निष्पादक और समनुदेशिती तब तक सामिल समझे जायेंगे जब तक कि उसके विषय-वस्तु या अर्थ के विरुद्ध न हो, प्रथम पक्ष कहलाता है।

मेसर्स मॉ कन्सट्रक्शन एण्ड डेभलपर एक भागीदारी फर्म है (1). श्री कुलभूषण कुमार पिता स्व० चन्द्र भूषण प्रसाद, जाति सोनार, पेशा व्यवसाय, साकिम जे०सी० मल्लिक रोड, प्रीत बिहार कॉलोनी, हीरापुर, डाकघर, थाना एवं जिला धनबाद, (झारखण्ड), (2). श्री अनिल कुमार सिंह, पिता श्री बाकें सिंह, जाति सोनार, पेशा व्यवसाय, साकिम मास्टर कॉलोनी बी०एम०पी० रोड, गोविन्दपुर, डाकघर एवं थाना गोविन्दपूर, जिला धनबाद, (झारखण्ड), यहाँ विकासकर्ता कहलाता है, जिस पद के अन्तर्गत उनके उत्तराधिकारी, निष्पादक और समनुदेशिती तब तक सामिल समझे जायेंगे जबतक कि उनके विषय विस्तु या अर्थ के विरुद्ध न हो, द्वितीय पक्ष कहलाता है।

Handwritten signatures and names: नकुल महतो, शान्ति देवी, कुलभूषण, अनिल कुमार सिंह, and others.

Handwritten notes: 'Starte', 'authed by', and '4/4/19'.



काश्चात अधिकांश
धनबाद

23636 30/01/19
S. No. D.
Name: J. Lal Mahato
S/o: Raghunath Mahato
Address: Dhambad
Value ₹ 500/-

N. S. CHHABRA
L. No.-3/79-00
S. V., Dhambad

823793 B

NOTARY
DHAMBAD

आज दिनांक 23/5/19 को मैं श्री नकुल महता पिता स्व: रघुनाथ महता
इस विकास एकराजनामा के एक में अंश 200000/- (दो लाख)
रकम प्राप्त किया।

23-5-2019 को
नकुल महता

स्ताए

① Arun Mallick
23/5/19



20/11/19

Prithvi Mishra

12/31/19

(2)

कुशीदेवी

व्याजि देवी

जब कि उपरोक्त मालिक अपने कब्जा या दखल भोग के स्वामित्व प्रदान कर जो पूर्णरूप से भू-अंश या उनके जमीन जिसका कुल रकवा करीब 18 कट्टा 21 वर्गफिट (यानि 29.80 डि0) या 12981 वर्गफिट जो अवस्थित सर्वे मौजा हीरापुर, थाना नं0:-07, थाना:- धनबाद, जिला:- धनबाद झारखण्ड जो धनबाद नगरपालिका के अन्तर्गत धनबाद जिला सह निबंधन कार्यालय सदर जो पूर्ण रूपेण संचिका-अ में वर्णित है जो मूलतः उपरोक्त भूमि विकास एकरारनामा का भाग कहा जाता है।


और जबकि- यह पुनः निदृष्ट और घोषित भूस्वामियों द्वारा किया गया है कि उपरोक्त जमीन भू-स्वामियों द्वारा सह निबंधन कार्यालय द्वारा प्राप्त विक्रय मूल दस्तावेज से प्राप्त कर अपना स्वामित्व ग्रहण किया जिसका निबंधन सह निबंधन कार्यालय धनबाद के वर्ष 1932 सर्वे सेटलमेन्ट में हुई जिसका निबंधन संख्या लिखित रूप से संचिका-"अ" में वर्णित है।

और जबकि उपरोक्त भू-स्वामियों ने अपना-अपना नाम सरकार के (वही-II) में सरकार को भूमि के उपरान्त कर अदा कर अपना-अपना मालिकाना हक झारखण्ड के अंचल कार्यालय धनबाद से प्राप्त किया और उसके तदोपरान्त उक्त जमीन पर कब्जा दखल भोग वास्तविक मालिकाना के रूप में पाया।

और जबकि - मालिक पुनः घोषणा करता है :-

- यह है कि उपरोक्त जमीन का करीब 18 कट्टा वर्गफिट (यानि 29.80 डि0) या 12981 वर्गफिट क्षेत्रफल है।
- यह है कि, जमीन सभी प्रतिवर्षों से मुक्त और वास्तविक स्वामित्व प्राप्त है और पेशतैनिक से उस पर मालिकाना हक प्राप्त है जो सभी प्रकार के दावों से मुक्त है।
- यह है कि, उक्त जमीन उसके खास दखल कब्जे में है जिसपर उनका अधिकार, दावा, रुचि सभी प्रकार के दावा-दावी से मुक्त है। न किसी भी प्रकार दायित्व दावा और समावेशित किसी प्रकार का है और जो बाजार शर्तों पर मालिक का स्वामित्व प्राप्त है। उक्त जमीन पर किसी अन्य का दावा-दावी से परे है। उक्त भूमि पर मालिक विक्रय बंधक, आदान-प्रदान या भाड़े संस्था को या अनुदान निबंधन कर के दखल दे सकता है, मालिक को इसे करने पर पूर्णरूप से आजादी प्राप्त है।

Signature
5/2/19



24/11/19

Prinimala

गिबलमिन

समवेत

कुलीदारी

शान्तिद्वी

- (d) यह है कि, उक्त जमीन पर जब कार्यकाल में किसी भी प्रकार का विभागीय सूचना मिल सकती है न तो गजट द्वारा विभाग से उक्त भूमि का स्वामित्व या मालिकाना हक छिना जा सकता है न ही अश्वन सिलिंग अधिनियम के तहत कोई भी प्रकार का सूचना दी जा सकती है मालिक उक्त जमीन पर अपना विकास हेतु कार्य कर सकता है।
- (e) यह है कि धनबाद नगर निगम से भूमि अधिग्रहण के लिए किसी भी प्रकार की सूचना दी जा सकती है या उसके समकक्ष विभाग द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है या न तो सम्बंधित विभाग द्वारा भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया की जा सकती है।
- (f) यह है कि उक्त जमीन पर किसी आयकर, राजस्व विभाग या सरकार के अन्य विभागों द्वारा भूमि अधिग्रहण की सूचना बनाये जा सकते है जो या तो उक्त भूमि पर या उसके किसी अंश पर लागू हो सके।
- (g) यह है कि उक्त भूमि पर वर्तमान या इसके पूर्व कोई निर्णय सक्षम न्यायालय द्वारा जो दावा, डिक्रीज, रोक, अवैधता का सूचना आवेदन या विपरित नियम पारित किया गया है, या इसके किसी भी अंश पर के लिए पूर्व में सूचना दी गई है।
- (h) यह है कि उक्त भूमि के किसी भी अंश पर किसी अन्यत्र का अधिकार नहीं हे या किसी भागीदारी या सह भागीदार के उक्त भूमि पर किसी के साथ दस्तावेज बनाया गया हो जो इसके या इनके किसी परिवार के साथ किसी संस्था के लिए भूमि दी गई हो, नहीं इसके देख-रेख के लिए किसी के साथ मदद स्वरूप अनुदान प्राप्त किया गया है।
- (i) यह है कि उक्त भू-स्वामियों द्वारा पूर्व में या वर्तमान में किसी भी प्रकार का एकरारनामा सम्पादन किया गया है जो इनके या इनके किसी भी परिवार या वारिसान से मुक्त है न तो किसी समझौता पत्र का निष्पादन किया गया है।

और जबकि उक्त भूमि हेतु विकासकर्ता के पास अपनी उक्त भूमि के विकास हेतु सम्पर्क किया जिस पर बहुमंजिला भवन का निर्माण किया जा सके जो आवासीय हो इसी कार्य हेतु उक्त मालिक विकासकर्ता को उक्त बहुमंजिला आवासीय भवन निर्माण हेतु अपना किमत उक्त भूमि के बदले 35 प्रतिशत सुपर विल्टप एरिया जमीन मालिक को दिया जायेगा जो कि जिसका विवरण तफशील वर्णित संचिका-ए में वर्णित किया गया और संचिका-बी में दर्शाया गया जो कि जमीन मालिक का एरिया है। कि शेष 65 प्रतिशत सुपर विल्टप एरिया विकासकर्ता को प्राप्त होगी। विकासकर्ता द्वारा दी गयी रूपया 20,00,000/- (बीस लाख रूपया) मात्र भू-स्वामियों को प्रदान की जायेंगे।

Signature identified by
4/2/19



(4)

विकासकर्ता

Ajith Malhotra
विकासकर्ता

DEVELOPER

विकासकर्ता

विकासकर्ता

जो भवन निर्माण में समाहित की जायेगी जो भू-स्वामियों के प्लैटो में समाहित विकासकर्ता के पक्ष में होगी। यदि उक्त भूमि छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम के दायरे में आता है तो वैसी परिस्थितियों में उक्त आदयगी अग्रिम रकम विकासकर्ता भूस्वामियों को अन्तिम निर्णय मान कर उसका वास्तविक अंशो से देकर मुक्त करेंगे जिसपर उनका पूर्ण दावा, अधिकार या स्वमित्व बना रहेगा और भवन निर्माण विकासकर्ता द्वारा कि विकशित भवन कहलायेगा जो क्रेता के हित में वास्तविक या प्रभावशाली माना जायेगा। 35 प्रतिशत का सुपर बिल्टप एरिया जमीन मालिक को विकासकर्ता द्वारा दिया जायेगा यह नियम हर तल्ले एवं पार्किंग पर किया जायेगा। विकासकर्ता को अधिकार होगा कि उक्त जमीन के मालिकों को दिये गये अग्रिम 20,00,000/- (बीस लाख) रूपया नगद को वापसी में पूर्ण 20,00,000/- (बीस लाख) रूपया नगद इस राशि को अनुबंध हस्ताक्षर होने के एक साल के अन्दर अमल में लाना होगा और जमीन मालिक को ये अधिकार होगा कि राशि वापसी के समय (या तो नगद या निर्मित हिस्से को विक्रय कर) विकासकर्ता को इसका लिखित प्रमाण ले सकता है। उनके हिस्से के निर्माण को विक्रय कर या उतना मूल्य का निर्मित भवन अपने कब्जे में लेकर उसे विक्रय कर सकता है। एवं इस प्रक्रिया में जमीन मालिक पूर्ण रूप में विकासकर्ता को हर तरह से खासकर कानूनी रूप से सहयोग करेंगे। जमीन मालिक को भुगतान का उल्लेख इस प्रकार है।

और जबकि निश्चित शर्त व नियमावली भू-स्वामि और विकासकर्ता के बीच सहमति बनी और भू-स्वामि ने विकासकर्ता को अपने उक्त जमीन पर बहुमंजिला भवन, दुकान, कार्यालय, गाड़ी खड़ा करने का जगह इत्यादी बातों को लेकर अपना सहमति प्रदान करने का जगर इत्यादि बातों को लेकर अपना सहमति प्रदान कर दी जिस पर विकासकर्ता राजी या रजामंद हुए। उपरोक्त प्लॉट के एकरारनामा के प्रथम पक्ष के सभी सम्मिलित जमीन मालिकों के सभी व्यस्क पुत्रों एवं पुत्रियों (विवाहित या अविवाहित) द्वारा इस एकरारनामा के किसी भी पहलू पर कोई आपत्ति नहीं है एवं उनलोगों द्वारा निर्माण अवधि के दरम्यान किसी भी तरह खास कर परिवारिक सम्पत्ति के बंटवारे एवं इस प्लॉट के उपर भवन निर्माण की हिस्सेदारी में कोई विघ्न, मुकदमा विकासकर्ता पर नहीं करेंगे। उनके अपने परिवार के अंदर अगर किसी भी बात पर आपसी अनबन हो तो उसका दुष्प्रभाव इस निर्माण कार्य पर पड़ने नहीं देंगे।

अब इस विकास हेतु गवाहों के समक्ष दोनों पक्षों ने राजी हुए और दोनों के बीच निम्न प्रकार की घोषणा बनी :-



1-2-3
4/2/19

(5)

विकासकर्ता

Jairam Mishra

नरेश मदन

धामबाद

विकासकर्ता

श्री. नि. देवी

1. उपरोक्त भूस्वामी ने विकासकर्ता को अपने उक्त भूमि के विकास हेतु बहाल किया जो विकासकर्ता ने सहर्ष स्वीकारोक्ति जाहिर किये। और विकासकर्ता ने भूस्वामी से अपना अधिकार, दायित्व, और निबंधन हेतु उक्त भूमि के विकास के लिए पूर्णतः सक्षम पदाधिकारी से अनुमति के लिए कारगर उपाय बनायेगें जो संचिका- "ए" में पूर्ण वर्णित है जिसका लिखित नियम व शर्तों का उल्लेख किया गया है जो निर्धारित है जो निम्नरूप से उल्लेखित किया गया है।
2. भू-स्वामी का यह पूर्णतः अधिकार बनता है कि विकासकर्ता के हतों में विकास एकरारनामा का निष्पादन करे एवं उक्त भूखण्ड पर विकास हेतु प्राथमिक रूप से कार्य हेतु जो निर्माण बहुमंजिला भवन, दुकान, कार्यालय, फ्लैट, गाड़ी खड़ा करने के लिए उपयुक्त जगह इत्यादि का निर्माण कार्य करें और उक्त भूखण्ड में किसी अंश को क्रेता के लिए एकरारनामा बना सके या उसे बिक्री कर सके जो भूस्वामियों का खास क्षेत्र हो।
3. भूस्वामियों अनुबंधित हस्तानान्तर या स्वीकृति पत्र विकासकर्ता के हितों में उक्त भूमि के विकास हेतु या उसके अनुयायियों को प्रदान कर सकता है साथ ही उस पर सहकारी भवन निर्माण, संस्था या निर्माण हेतु कार्य सम्पादन जो भूमि सभी प्रकार के प्रतिबंधों से मुक्त है पर अपना अधिकार रुचि या अंश दखल उक्त भूमि के लिए स्वीकृत है जो करीब 18 कट्टा 21 वर्गफिट (यानि 29.80 डि0) या 12981 वर्गफिट जिसका पूर्ण वर्णन संचिका- ए में किया गया है। (सुपर निर्मित क्षेत्र में सेवा क्षेत्र स्टेयर सहित कोरीडोर लिफ्ट, डाक्टस, जमीन भराव क्षेत्र या स्थगन) नियमित पूर्ण निर्मित भूस्वामियों को खास तौर पर दखल प्रदान करना जो क्षेत्र प्रदान की जायेगी वह निम्न नियम व शर्तों पर आधारित यह वर्णित है।
4. विकासकर्ता भूस्वामियों से खाली शांति दखल कब्जा के उपरान्त वह अपने निर्माण कार्य हेतु व्यय करेगा और भवन निर्माण होते योजना तो तैयार कर खनीज क्षेत्र विकास प्राधिकार कार्यालय के समक्ष नक्सा हेतु आवेदन सुपूर्द करेगा स्वीकृति सक्षम पदाधिकारी से प्राप्त कर नक्से के मुताबिक विकासकर्ता उक्त भूमि पर विकास हेतु कार्य प्रारम्भ करेगें। कार्य समाप्त होने के बाद विकासकर्ता 29.80 डी0 सुपर बिल्टप एरिया प्रतिकट्टा करीब 18 कट्टा 21 वर्गफिट (यानि 29.80 डी0.) या 12981 वर्गफिट में 35 प्रतिशत अंश जमीन मालिक या उसका उत्तराधिकारी का होगा और 65 प्रतिशत अंश विकासकर्ता का या उसका उत्तराधिकारी का होगा।

विकासकर्ता का यह अधिकार दायित्व होगा कि उक्त भूमि पर उपयुक्त दुकान, कार्यालय, फ्लैट, पार्किंग जगह और अन्य उपयोगी निर्माण कर कम्पलेक्स क्रेता के लिए तैयार करेगें।



Outred by
A.P.
4/2/19

(6)
 P. S. Mishra
 Anamika
 13/4/19
 Dhanbad
 कृष्णा देवी
 शारदा देवी

6. भूस्वामियों ने विकासकर्ता को या उनके आश्रितों को अपने उक्त भूखण्ड पर सहकारी गृह निर्माण संस्था व्यक्तिगत संस्था, फर्म, सहयोगी, अंग पूर्णतः तैयार हेतु भूस्वामियों से भू-दखल प्राप्त करेगा जो क्षेत्र विकास हेतु भू-स्वामी से प्रदान की जायेगी वह निर्धारित मूल्य दोनों द्वारा तय किया गया अन्तिम या पूर्ण मूल्य होगी। उसके तदोपरान्त भू-स्वामी को कोई अधिकार दिये गये भूमि विकासकर्ता के विरुद्ध अन्य को हस्तान्तरण अनुवांचित नहीं करना होगा।
 7. यह पूर्ण विकासकर्ता द्वारा निर्णायक होगा कि उक्त भूमि पर भूस्वामियों तक अधिकार बना रहेगा जब तक वह अपना अंश विकासकर्ता से प्राप्त नहीं कर लेता वैसे अवस्था में भूस्वामियों किसी अन्य को अपना स्वामित्व हस्तान्तरण या अधिकार प्रदान कर सकता है जिस पर अन्यत्र किसी सरकारी संस्था ऐजेन्सीज इत्यादी को दे सकता है वैसे अवस्था में भूस्वामियों का लिया गया निर्णय ही मान्य होगी। भूस्वामियों, व्यक्तिगत रूप से संग्रह कर सकता है। निर्माण के सभी कीमत यदि उक्त भूमि पर आयेगी उसे विकासकर्ता को अदा कर अपने आवंटित भूखण्ड को दावा हस्तान्तरण कर सकता है।
 8. यह है कि विकासकर्ता खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार कार्यालय धनबाद प्राप्त नक्सा के तिथि से 6 वर्षों तक और 6 (छः माह) छुट की अवधि तक या विकासकर्ता के उपर उसके परिस्थिति के प्रतिकूलता से जैसे आग, भूधसान, या प्राकृतिक आपदा या ईश्वरीय प्रकोप से समय अवधि ले सकता है।
 9. विकासकर्ता का यह अधिकार होगा कि उक्त भूमि पर भवन निर्माण कर कार्य विभिन्न फ्लैटों का निर्माण पार्किंग जगह अपने पारित नक्से के अनुरूप कर सकता है जैसे विकासकर्ता का स्वाविवेक विचार या कल्पना हो और निर्मित भवन पवर अपना उचित मूल्य अदा कर स्वयं विवेक से कार्य कर सके उस पर भूस्वामियों का कोई अधिकार नहीं बनता है।
 10. विकासकर्ता अपना कार्य उक्त भूखण्ड पर स्वतंत्र रूप से निर्माण हेतु करने के लिए स्वतंत्र है वैसे परिस्थिति में निर्माण कार्य के दौरान किसी भी प्रकार का अड़चन या बाधा उत्पन्न होगी तो उसका दायित्व भूस्वामियों को होगी।
 11. भूस्वामी यह पूर्ण रूपेण उनधिकार प्रदान करता है कि वह यानि विकासकर्ता उनपने विकास हेतु उक्त भूमि पर कार्य इस एकरारनामा के अनुरूप कर सकता है:-
- (ii). विकासकर्ता सक्षम पदाधिकारी के पास भवन निर्माण हेतु आवेदन लिखित रूप से बना सकता है उक्त आवेदन पर अपना नक्सा पारित हेतु हस्ताक्षर बना सकता है या समयानुसार किसी सक्षम पदाधिकारी के समक्ष सुधार या प्रक्रिया परिवर्तन हेतु आवेदित है,

simile identified by
 4/2/19



(7)

देवम/ममदी

Primum Maltu

उभमेरु

कामरु

बहालीदेवी


बहालीदेवी

जो खनन विकास प्राधिकार विभाग या संबंधित सक्षम विभाग से पारित हेतु आवेदन बन सकता है साथ ही उसे घोषणा पत्र, शपथ-पत्र या कोई अन्य वास्तविक कार्य हेतु कागजात नक्सा हेतु उपस्थित या दाखिल कर सकता है जिसे उसके विकास हेतु सुधारोक्ति पत्र प्रदान हो सके।

- (II). विकासकर्ता किसी तकनिकी व्यक्ति, अभियंता या निर्माण कर्ता को भी बहाल कर सकता है।
- (III). विकासकर्ता सक्षम विभाग को उर्ज सम्बंध प्राप्ति हेतु या अनुमति सिमेंट, छड़ स्टील इत्यादी पदार्थ के लिए अनुशान्ति प्रदान कर सकता है।
- (IV). किसी दस्तावेज, एकरारनामा, विक्री हेतु किसी स्थाई दुकान कार्यालय, प्लैट, पार्किंग जगह जो भवन निर्माण हेतु कार्य के अनुरूप हो खरीद विक्री या निर्माण कर सकता है।
- (V). किसी भी बैंक से या आर्थिक संस्था से ऋण हेतु जो भवन निर्माण, के हितों में हो। जमीन बंधक, प्लैट बंधक उस निर्माण भवन हेतु आवेदित इन्फ्राटेक जिम्मेवार होंगे।
- (VI). विकासकर्ता द्वारा उक्त जमीन के क्षेत्र या भाग हस्तानान्तरण किया जायेगा जो एक या उससे अधिक के लिए फार्म, संस्था या कोई सहकारी समिति, एजेन्सी या सहकारी संस्था के व्यक्ति के लिए निर्माण हेतु बनाया या खरीदा जा सके वह क्रेता इसी ईमारत के प्लैट के लिए प्रयुक्त होगी।
- (VII). मालिकाना आधार या कोई अन्य अधिकार आधार पर दुकान, कार्यालय, प्लैट पार्किंग जगह और अन्य उपयोगी क्षेत्र, उस विकासकर्ता के क्षेत्र जो भवन में हो उक्त भू-भाग पर निर्माण हेतु कोई भी उचित विक्रय मूल्य प्राप्त कर सकता है, अपने खाते में।
- (VIII). और अन्य कार्य उक्त भूमि पर विकास हेतु कर सकते हैं।

12. यह भी बिना पावंदी या दबाव के भूस्वामी राजी एवं घोषणा करता है कि निर्मित दखल भस्वामियों को कारण चार में वर्णित सविधाएं प्राप्त की जायेगी जैसा कि उपरोक्त में है जो साफ सुथरे तौर पर उचित पाकर उक्त भूमि को हस्तानान्तरण हो सके जो विकासकर्ता को भूस्वामी द्वारा या उनके मनोनित सदस्य द्वारा प्राप्त हो।
13. जब कभी, विकासकर्ता को जरूरत हो तो भूस्वामियों द्वारा मनोनित सदस्य के रूप में भाग ले सकते हैं, कोई दस्तावेज एकरारनाम विक्रय हेतु विकासकर्ता सामिल कर सकते हैं कोई भी व्यक्ति जो जो निर्मित भवन या उसके कोई अंश भाग उक्त भवन में स्वामित्व प्राप्त कर सकता है, सभी प्रकार की राशि एकरारनामा के समय प्लैट इत्यादी का मूल्य विकासकर्ता द्वारा प्राप्त किया जा सके।

Sisande
identified by me
4/2/19



(8)

1/2/19
1/2/19
1/2/19
1/2/19

1/2/19
1/2/19

14. उपरोक्त नियम व शर्तों के मुताबिक विकासकर्ता का समापन जो विषय वस्तु है वह विकासकर्ता के विवेक और इच्छा के अनुरूप होगी और भूस्वामियों के विकासकर्ता के अनुमति से सहकारी भवन निर्माण समिति के हितों में या अन्य संस्था के हितों में था उससे संबंधित कागजात लिखित रूप में जैसा जरूरत समझा जाय विकासकर्ता के पक्ष में या उनके संबंधित या मनोनित व्यक्ति के पक्ष में उक्त भूखण्ड के एवज में सम्पादन कर देना होगा।
15. खास तौर पर भवन निर्माण के उपरान्त भूस्वामियों द्वारा दी गयी भूखण्ड भूस्वामियों द्वारा आवश्यक कागजात को सम्पादन कर जो क्रेता के प्लैट के पक्ष में या हितों में उसे उसके पूर्ण अधिकार रूचि या दखल प्राप्त हो जो उसके अंशर मिल सके।
16. भूस्वामियों ने सारी बातों व शर्तों को पढ़ व समझ कर राजी हुए और अपने-अपने विचारों के विकासकर्ता के पक्ष में विकास एकरारनामा बना दिया जिसका सम्पादन की गयी और साथ ही उसे यह भी स्वयंदाता ता प्राप्त अधिकार भी प्रदान की गयी कि विकासकर्ता या उसके मनोनित सदस्य पर भूस्वामियों के किसी भी वारिशन द्वारा निर्माण कार्य में बाधा न उत्पन्न हो और यह अधिकार उसे उक्त भूखण्ड पर सभी क्लेशों से मुक्त कर प्रदान की गयी कि यदि आवश्यकता पड़े तो किसी भी इच्छुक क्रेता को स्वतंत्र रूप से निर्मित भवन का अधिकार हस्तानान्तरण कर सके। साथ ही उक्त प्लैट के एवज में किसी भी आर्थिक से ऋण प्राप्त कर सके। और भूस्वामियों ने सही पाकर अपना-अपना हस्ताक्षर बनाने के लिए इस विकशित एकरारनामा पर राजी हुए। जिससे उक्त भूखण्ड पर अपना विकास कार्य विकासकर्ता द्वारा सम्पन्न हो।
17. यह है कि भूस्वामी विकासकर्ता को या उसके अधिकृत अधिवक्ता को वास्तविक अधिकार मूल दस्तावेज या कागजात जो इससे संबंधित है प्रदान करेगा जिसका जाँच मूलरूप से कर सके। और भूस्वामी उस परिक्षण हेतु सभी प्रकार की सहायता या सहयोग प्रदान करेंगे। साथ ही साथ संबंधित पेपर के सहयोग में उचित राय जो बाजार मूल्य पर आधारित है करेंगे एवं उसका हक भी प्रदान करेंगे जो मूल प्रति होगी और विकासकर्ता को विकास हेतु उक्त भूमि पर काम आ सके।
18. भूस्वामी यह भी वादा करता है कि उक्त भूमि के विकासकर्ता के देने के उपरान्त किसी अन्यत्र के उक्त भूमि को किसी प्रकार प्रास्तावित बातों का वादा नहीं करेंगे। केवल उक्त भूमि पर विकासकर्ता के शिवा जो शांति दखल देने के बाद जो इस एकरारनामा के अनुरूप होगी जो विकासकर्ता और भूस्वामियों के बीच किया गया है। जैसा कि उपरोक्त में वर्णित सहकारिता निर्माण एवं संस्था या उससे संबंधित संस्था से किया गया है। उसके द्वारा केवल उक्त भूमि पर निर्माण कार्य स्वरूप किया गया है।


Signature identified by
A
4/2/19



(9)

श्री जयप्रकाश
श्री जयप्रकाश
श्री जयप्रकाश
श्री जयप्रकाश
श्री जयप्रकाश
श्री जयप्रकाश

19. अगर किसी कारणवश उक्त एकरार भूमि जो विकासकर्ता के पक्ष में किया गया हो, बकाया या किसी भी प्रकार का अड़चन उत्पन्न होती है वैसी अवस्था में भूस्वामि अपना मूल्य अदा कर विकासकर्ता के पक्ष में सुपुर्द कर देंगे।
20. विकासकर्ता उक्त देय भूमि को अपने नाम से अपने अनुमति के मुताबिक करेंगे जिसका खर्च वहन विकासकर्ता को स्वयं करना होगा।
21. सारी बातें जो उक्त जमीन से संबंधित है खास दखल जो विकासकर्ता के तिथि से ही मान्य होगी जो विकासकर्ता के विकास हेतु उत्पन्न होती हैं। विकासकर्ता बाहरी अन्य कोई कठिनाईयों का सामना नहीं करेंगे जो पूर्व में उक्त जमीन से संबंधित हो। इस उनवधि के पूर्व जब भू-स्वामी विकासकर्ता को भूखण्ड देय कि तिथि के पूर्व उसका जिम्मेवारी केवल भूस्वामीयों की होगी।
22. भूस्वामीयों का कोई आपत्ति नहीं माना जायेगा जब विकासकर्ता अपना योजना नक्सा दाखिल कर देंगे जो भूस्वामियों के नमा से खनन विकास प्राधिकार विभाग या अन्य स्थानीय पदाधिकारी जो योजना नक्शा पारित करता हो या अनुमति या प्रस्ताव प्रदत्त करता हो, भू-स्वामि बिना कारण अपना-अपना हस्ताक्षर बनाने के लिए जो संबंधित कागजातों के लिए उस पर की जाती हो, या उसके उद्देश्यों के लिए किया जाता है, राजी हुरे।
23. यह एकरारनामा सदा के लिए नियमित भागीदारी कोई अन्य सुक्ष्म अवधि के लिए पक्षों के बीच नहीं होगी।
24. यह कि भू-स्वामि अपना स्वामित्व उसी क्षेत्र के लिए प्रभावी बनेंगे जो शर्त व नियमावली क्रेता के साथ ही जायेगी। भू-स्वामी और क्रेता विकासकर्ता का जो क्षेत्र उसके प्रतिष्ठित अभिकर्ता, मनोनित व्यक्ति नौकर या अनुज्ञप्ति धारियों को उक्त नियम व शर्तों के अनुसार जो एकरारनामा या उसके कृत अधिनियम हो उसमें भू-स्वामियों प्रभाव रहित होंगे जो भूमि विकासकर्ता के विकासकर्ता के क्रेता खरीदेगें उस पर केवल अभिकर्ता का ही नियम व शर्त लागू होंगे। जिसका उपयोग क्रेता विकासकर्ता के नियम व शर्तों के मुताबिक पालन करेंगे। जो निर्मित भवन के हित में हो।
25. भू-स्वामियों ने यह सहमति की उक्त विकासकर्ता द्वारा उक्त भूमि पर यदि किसी सरकारी विभाग या स्थानीय विभाग द्वारा कर ली जाती है जो उक्त भूमि विकास हेतु आवश्यक है वैसी परिस्थिति में विकासकर्ता एवं भू-स्वामियों अपने उचित अंशों द्वारा भुगतान करेंगे जैसा दोनों के बीच निर्णय लिया जाय, मान्य होगा या जो हिस्सा देनदार होगा दोनों पक्षों का आपसी सहमति से प्रदान करनी होगी।



18/12/19
5/12/19

(10)

श्री जयप्रकाश
Ajay Mishra
श्री जयप्रकाश
श्री जयप्रकाश
श्री जयप्रकाश
श्री जयप्रकाश
श्री जयप्रकाश
श्री जयप्रकाश
श्री जयप्रकाश
श्री जयप्रकाश

26. यह भी राजी किया गया कि जो वर्तमान से सम्पादन किया जायेगा उसपर विकासकर्ता का अधिकार होगा कि वह अपना उचित विकास के लिए मार्क चिन्ह संबंधित नक्शा अपने आवश्यकतानुसार चिपका सकते हैं।
27. यह भी सहमति बनी कि सभी प्रकार के हस्तान्तरण जो जमीन निर्मित क्षेत्र का हो क्रेता या हस्तान्तरण कर्ता अपना-अपना गैर-न्यायिक कर, न्यायालय कर और अन्य संबंधित खर्च क्रेता को स्वयं वहन करना होगा।
28. भू-स्वामियों का यह बाध्यता होगी कि उनका मूल दस्तावेज या दस्तावेज पर अपना हस्ताक्षर बना कर उसके पक्ष में भू-हस्तान्तरण विकासकर्ता के पक्ष में और उनके मनोनित सदस्य उत्तराधिकारी और अन्य सदस्यों जो विकासकर्ता के खास व्यक्ति होकर देना होगा। निर्मित भवन निर्माण कार्य समाप्ति खर्च अंश या दखल प्रदत्त की जायेगी।
29. यह कि, किसी कारणवश कोई विवाद या अन्तराल उत्पन्न होती है तो दोनों पक्षों के बीच वैसी स्थिति में दोनों पक्षों द्वारा उचित सलाहकार के निर्णय से मान्य होगी जैसा कि भारतीय निर्णयकर्ता स्थगन अधिनियम 1996 में सुधार समय-समय पर किया गया है से ही लागू होगी।
30. अग्रीम राशी भूस्वामी जो लेंगे, समय पर काम अगर नहीं होता है तो, वह राशी वापस नहीं होगी। अथवा उस पर भूस्वामी कानूनी कारवाई करेंगे। एवम जो समय दी गई है उस समय पर काम नहीं हुआ तो राशी भी वापस नहीं होगी और कानूनी कारवाई होगी, और गैरेज, पार्किंग सभी में 35 प्रतिशत हिस्सा भूस्वामी को देना होगा।

उपरोक्त वर्णित संचिका से


सभी भू-खण्ड के टुकड़े मापित कुल रकवा करीब 18 कट्टा 21 वर्गफिट (यानि 29.80 डि०) या 12981 वर्गफिट जैसा निम्न में वर्णित किया गया है जो सर्वे मौजा हीरापुर, थाना नं०:-07, प्लॉट सं०:-1725, खाता सं०:-37 खतियानी जमीन जो पुराना रैयत स्व० मंगरू महतो, साकिम :- हीरापुर, धनबाद नया रैयत, (1) श्री टेकलाल महतो (2). अर्जून महतो (3). नकुल महतो (4). देबू महतो सभी पुत्र स्व० रघुनाथ महतो और (5). निरंजन महतो पिता स्व० शंकर महतो (6). शान्ति देवी पति स्व० संतोष महतो, सभी धर्म:- हिन्दू, जाति:- तेली, साकिन:- तेलीपाड़ा, हिरापुर, धनबाद, पो०:- धनबाद थाना व जिला:- धनबाद, राज्य:- (झारखण्ड) में नगर निगम और जिला के अन्तर्गत सह निबंधन कार्यालय धनबाद जिसकी चौहद्दी इस प्रकार है :-

उत्तर :- प्लॉट नं०:- 1726 का अंश।

दक्षिण:- प्रस्ताविक सड़क

पूरब :- 20 फिट प्रस्ताविक सड़क।

पश्चिम :- प्लॉट नं०:- 1725 का अंश।



Signature
4/2/19


(11)

20/11/19
Jairam
13564/18
Dhanbad
Govt. of Jharkhand
कुशली देवी
शु. ति. देवी

अपार्टमेंट के लिए सामान्य नमूना

1. **बनावट** :- आर0सी0सी0 निर्मित बनावट 5 इंच कार्य और सिमेंट मोरटर जैसा कि मुख्य नमूना किस्मों का बनावट से संबंधित है।
2. **दरवाजा** :- एक दरवाजा ढाँचा (चौखट) कड़ा लकड़ी का **B-30/32mm** मोटा फलश दरवाजा जो कोट रंग किया हुआ, साइन्थेटिक इनामेल पेन्ट से उपर प्राईमर कोट से।
3. **खिड़की** :- पूर्ण रूपेण अलुमूनियम गेज।
4. **सतहीकरण**:- सम्पूर्ण क्षेत्र में भैट्री फाईड मारबल किया हुआ जो स्टेयर और कोरीडोर सम्बंधित।
5. **रसोई** :- **(a).** सिरामक टाईल्स से सतहीकृत।
(b). कार्य क्षेत्र में हरा मार्बल (संगमरमर)।
(c). डाडो - 18 इंच उँची सिरामिक टाईल्स जो उपर कार्य क्षेत्र हो। सम्पूर्ण बाथरूम एवं किचन में नल एवं डाइनिंग में नल वेसिन एवं अन्य प्रकार की सुविधा हो।
(d). सिंक - स्टील सिंक।
6. **स्नान गृह**:- **(a).** सिरामक टाईल्स से सतहीकृत।
(b). डाडो सिरामिक टाईल्स से 5 इंच उँची सतह।
(c). सनटरी वेय-उजला, चमकिला विभिन्न सनीटरी वेयर (हिन्द वेयर/पैरी वेयरओर.....)
(d). सिस्टरकरण-एकलिक/फाईवर ग्लाश सिस्टररण जो उजले रंग का।
(e). फिटिंग्स- क्रोमियम पेण्टेड सीपी पोलिश से।
7. **उर्जाकृत**:- **(a).** सभी आन्तरिक आवरिंग जो ताम्बा का कण्डक्टर ब्वहू हो पी0भी0सी0 छिपा कण्डक्ट।
(b). एक टी0पी0 पाईन्ट और एक टेलीफोन पलग पोइन्ट दिया हुआ प्रत्येक फ्लैट के ड्राईंग कमरे में।
(c). सभी स्टैण्डरड बना स्वीच पंखा एवं अन्य निर्मित समान।
(d). भार उठाने हेतु पावर प्वाइन्ट सॉकेट आउटलेट सभी फ्लैट में उपलब्ध।

Signature
Identified by
4/2/19



- (e). समान्य क्षेत्र में जेनरेटर की व्यवस्था पानी उपर ले जाने के लिए जम पम्प। बाथरूम में सभी अच्छे क्वालिटी के सामग्री होगी।
8. आन्तरिक दिवार:- सम्पन्न रूप से सभी आन्तरिक दिवार गोपो द्वारा बना हुआ।
 9. बाहरी दिवार बना हुआ:- सभी बाहरी दिवार स्नो सेम से पेन्ट किया हुआ।
 10. लिफ्ट :- छः यात्रि एक साथ चढ़ या उतर सकते हैं।
 11. गरम पानी की व्यवस्था :- गरम पानी सावर, बाथरूम में फिटिंग।
 12. जल सप्लाई:- 24 घंटे प्रवाहित जल सप्लाई व्यवस्था जो गहरे बोरिंग टुयबेल से किया जायेगा।
 13. लिफ्ट :- जो स्टैन्डर साईज की तथा अच्छा क्वालिटी हो।
 14. पार्किंग :- एक फ्लैट के लिए एक पार्क, अतिरिक्त खर्च पर।
 15. विद्युतिकरण:- ऊर्जा हेतु निजी ट्रान्सफार्मर जो अपार्टमेंट का हो।
 16. जेनरेटर :- जेनरेटर लगा हुआ जो कार्यरत है।

गवाहों का हस्ताक्षर :-

भूस्वामी का हस्ताक्षर

1. Kumar Paruchottam
S/o - Ramnand Singh
Patel Nagay Road - 76
Horse - 4 Patna

शिवरि पुराई मदन

स्वर्ग श्री. पिरंजन मधु

4. नीलम देवी
पति - २० शीबिन्तु मल्ल
बलिपाड़ा धनबाद

शिवरि पुराई मदन

शिवरि पुराई मदन

शिवरि पुराई मदन

शिवरि पुराई मदन


शिवरि पुराई मदन

शिवरि पुराई मदन

विकासकर्ता का हस्ताक्षर

कमलेश्वर कुमार
शिवरि पुराई मदन


Notary
4-2-2019
NOTARY
DHANBAD



04 FEB 2019

Authorised
u/s 297 (i) (c) of the Cr. P.C. 1973
(Act No 11 of 1974) & u/s (8) (i)
of the Notaries Act 1952
(Act No 53 of 1952)

Signature certified by
4/2/19



Government of Jharkhand

Receipt of Online Payment of Stamp Duty

NON JUDICIAL

Receipt Number : a549667688df156bbb0a

Receipt Date : 16-Apr-2023 05:43:54 pm

Receipt Amount : 200/-

Amount In Words : Two Hundred Rupees Only

Document Type : Agreement or Memorandum of an Agreement

District Name : Dhanbad

Stamp Duty Paid By : GANESH PRASAD MAHATO AND OTHER

Purpose of stamp duty paid : EXTENSION OF AGREEMENT

First Party Name : GANESH PRASAD MAHATO AND OTHER

Second Party Name : MAA CONSTRUCTION AND DEVELOPER

GRN Number : 2316746123

-: This stamp paper can be verified in the jharnibandhan site through receipt number :-

गणेश प्रसाद महतो नीलम देवी



This Receipt is to be used as proof of payment of stamp duty only for one document. The use of the same receipt as proof of payment of stamp duty in another document through reprint, photo copy or other means is penal offence under section-62 of Indian Stamp Act, 1899

इस रसीद का उपयोग केवल एक ही दस्तावेज पर मुद्रांक शुल्क का भुगतान के प्रमाण हेतु ही किया जा सकता है। पुनः प्रिन्ट कर अथवा फोटो कॉपी आदि द्वारा इसी रसीद का दूसरे दस्तावेज पर मुद्रांक शुल्क का भुगतान के प्रमाण हेतु उपयोग भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 की धारा 62 अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।



25 APR 2023

SI NO

DI

DI

DI

DI

DI

DI

DI

विकास एकरारनामा

यह विकास एकरारनामा आज दिनांक- 16.04.2023 को निम्न पक्षों के बीच बना एवं सम्पादन किया जा रहा है :-

प्रथम पक्षगण :- (1) श्री गणेश प्रसाद महतो, पिता- स्व० निरंजन महतो, (2) श्रीमति नीलिषा देवी, पति- स्व० गोविन्द प्रसाद महतो
धर्म हिन्दू, जाति- तेली, दोनों पता- तेली पाड़ा, हीरापुर, धनबाद, पोस्ट, थाना एवं जिला- धनबाद, झारखण्ड, पिन- 826001, इन्हें सम्मिलित मालिक कहा गया है, जिस पद के अन्तर्गत उसके उत्तराधिकारी निष्पादक और समानुदेशिता तब तक शामिल समझे जायेंगे जब तक कि उसके विषयवस्तु या अर्थ के विरुद्ध न हो, प्रथम पक्ष कहलाता है।

ए व म्

द्वितीय पक्षगण :- मेसर्स माँ कन्सट्रक्सन एण्ड डेवलपर, एक भागीदारी फर्म है, जिसमें 1.) श्री कुलभूषण कुमार, पिता- स्व० चन्द्रभूषण प्रसाद, जाति- सोनार, पेशा- व्यवसाय, साकिम- जे० सी० मल्लिक रोड, प्रित विहार कॉलोनी, हीरापुर, पोस्ट, थाना एवं जिला- धनबाद, (झारखण्ड), 826001, 2.) श्री अनिल कुमार सिंह, पिता- श्री बांके सिंह, जाति- भूमिहार, पेशा- व्यवसाय, साकिम- मास्टर कॉलोनी, बी० एम० पी० रोड, गोबिन्दपुर, पोस्ट, थाना- गोबिन्दपुर, जिला- धनबाद, (झारखण्ड) यहाँ विकासकर्ता कहलाते हैं। इस पद के अन्तर्गत उनके




उत्तराधिकारी निष्पादक और समानुदेशिती तब तक शामिल समझे जायेंगे जब तक कि उनके विषयवस्तु या अर्थ के विरुद्ध न हो द्वितीय पक्ष कहलाता है।

इस विकास एकरारनामा हेतु गवाहों के समक्ष दोनों पक्ष सहमत हुए और दोनों के बीच निम्न प्रकार कि घोषणा बनी :-

- 1.) यह विस्तार विकास एकरारनामा हमदोनों पक्षों के बीच, मूल विकास एकरारनामा दिनांक- 04/02/2019 का ही भाग है।
- 2.) यह विकास एकरारनामा दिनांक- 04/02/2019 को हमारे माताजी एवं सास स्व० बुगली देवी द्वारा अन्य और हिस्सेदारों के साथ बनाया गया था।
- 3.) यह कि, इस विस्तार विकास एकरारनामा को बनाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि हमारे माताजी का देहांत दिनांक- 02.02.2023 को हो चुका है।
- 4.) यह कि, हमारे माताजी के देहांत के बाद हमलोगों कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में इस अनुसूची सम्पत्ति का मालिक हुए।
- 5.) यह कि, हमदोनों भी हमारे माताजी के उत्तराधिकारी के हिसाब से एकरारनामा दिनांक- 04/02/2019 में वर्णित सभी नियमों एवं शर्तों को स्वीकार करते हैं एवं एकरारनामा के कांडिका में लिखित सभी बात हमारे लिए मान्य है।
- 6.) यह कि, इस विस्तार विकास एकरारनामा के साथ संलग्न स्टाम्प पेपर कि

रसीद संख्या- a549667688df156bbb0a, GRN No.- 2316746123 है।



नीतिमय देवी

गणेश प्रसाद शर्मा

6.) यह कि, यह विस्तार विकास एकरारनामा दोनों पक्षों को मान्य होगा और अगर किसी को कोई आपत्ति होने कि स्थिति में दोनों पक्ष आपस में मिलकर मामले को सुलझा लेंगे।

अतः दोनों पक्षों ने इस एकरारनामा को स्वस्थ मन, शांत चित्त से, बिना किसी भय या दबाव में आए पढ़ व पढ़वाकर अच्छी तरह से समझ लिया है और निम्न गवाहों के समक्ष दोनों पक्षों ने अपना-अपना हस्ताक्षर कर दिया ताकि प्रमाण रहे और भविष्य में यह दस्तावेज काम आ सके।

इति सन्- 2023

गवाहगणों का हस्ताक्षर :-


1. Keshav Karmahato
S/O Govind Pd. Mahato
Telipara Hirapur.
2. Priya Ranjan
16.04.23
S/O M. C. B. K. Singh
B. C. Mallik road, Hirapur.
- 3.

भूस्वामीगण का हस्ताक्षर :-

1. राजेश प्रसाद मधु
2. नीलम देवी

विकासकर्तागण का हस्ताक्षर :-

1. Bullehusran Sumary
कुल्लुषु पत कुमर
2. Anil Kumar Singh



ATTESTED
NOTARY DHANBAD
Authorised.

u/s (8) (I) (a) of the Notaries
Act 1952 (Act No. 53 of 1952)


T. K. SARKAR (Adv.)
25/04/2023

T. K. SARKAR (Adv.)
E. No. 2202 / 2000

स 1



शासक सरकार
GOVERNMENT OF JHARKHAND
योजना एवं विकास विभाग (अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)
DEPARTMENT OF ECONOMICS & STATISTICS
शाहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल
SHAHEED NIRMAL MAHATO MEDICAL COLLEGE HOSPITAL

FORM 6



मृत्यु प्रमाण-पत्र
DEATH CERTIFICATE

(जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 12 / 17 तथा शासक जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2009 के नियम 8/13 के अंतर्गत जारी किया गया।
(ISSUED UNDER SECTION 12/17 OF THE REGISTRATION OF BIRTHS & DEATHS ACT, 1969 AND RULE 8/13 OF THE JHARKHAND REGISTRATION OF BIRTHS & DEATHS RULES 2009.)

यह प्रमाणित किया जाता है निम्नलिखित सूचना मृत्यु के मूल अभिलेख से ली गई है जो कि शाहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, बरभोरा, धनबाद-कण्डुआडीह-जगता जिला धनबाद राज्य/संघ प्रदेश शासक भारत के रजिस्ट्रार से उल्लिखित है।
THIS IS TO CERTIFY THAT THE FOLLOWING INFORMATION HAS BEEN TAKEN FROM THE ORIGINAL RECORD OF DEATH WHICH IS THE REGISTER FOR SHAHEED NIRMAL MAHATO MEDICAL COLLEGE HOSPITAL OF TAHSIL/BLOCK DHANBAD-CUM-KENDUADIH-CUM-JAGATA OF DISTRICT DHANBAD OF STATE/UNION TERRITORY JHARKHAND, INDIA.

मृतक का नाम / NAME OF DECEASED BUGU DEVI

लिंग / SEX महिला / FEMALE

आधार नंबर / AADHAAR NO.
XXXXXXXX3653

मृत्यु की तिथि / DATE OF DEATH
02-02-2023
SECOND-FEBRUARY-TWO THOUSAND TWENTY THREE

मृत्यु का स्थान / PLACE OF DEATH
SAHID NIRMAL MAHATO MEDICAL COLLEGE HOSPITAL

मृतक की उम्र / AGE OF DECEASED
69 YEARS

पति / पत्नी का नाम / NAME OF HUSBAND / WIFE
LT NIRAJAN MAHTO

माता का नाम / NAME OF MOTHER

आधार नंबर / HUSBAND/WIFE AADHAAR NO

आधार नंबर / MOTHER'S AADHAAR NO

पिता का नाम / NAME OF FATHER
BHUVAN MAHATO

मृत्यु के समय मृतक का पता / ADDRESS OF THE DECEASED AT THE TIME OF DEATH

आधार नंबर / FATHER'S AADHAAR NO

TELIPADA, HIRAPUR,
DHANBAD, DHANBAD-CUM-KENDUADIH-CUM-JAGATA, DHANBAD,
JHARKHAND- 826001

मृतक का स्थायी पता / PERMANENT ADDRESS OF DECEASED

TELIPADA, HIRAPUR,
DHANBAD, DHANBAD-CUM-KENDUADIH-CUM-JAGATA, DHANBAD,
JHARKHAND- 826001

पंजीकरण संख्या / REGISTRATION NO
D-2023. 20-90123-001429

पंजीकरण तिथि / DATE OF REGISTRATION
13-02-2023

टिप्पणी / REMARKS (IF ANY)
-

जारी करने की तिथि / DATE OF ISSUE
03-04-2023

जारी करने वाला अधिकारी / ISSUING AUTHORITY

रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु)
REGISTRAR (BIRTH & DEATH)
शाहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल
SHAHEED NIRMAL MAHATO MEDICAL COLLEGE HOSPITAL

UPDATED ON
03-04-2023 13:54:13



"THIS IS A COMPUTER GENERATED CERTIFICATE WHICH CONTAINS FACSIMILE SIGNATURE OF THE ISSUING AUTHORITY THE GOVT. OF INDIA VIDE CIRCULAR NO. 1/12/2014-VS(CRS) DATED 27-JULY-2015 HAS APPROVED THIS CERTIFICATE AS A VALID LEGAL DOCUMENT FOR ALL OFFICIAL PURPOSES
* प्रत्येक जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण सुनिश्चित करें / ENSURE REGISTRATION OF EVERY BIRTH AND DEATH "

